26.05.26 एक मात्र अभियुक्त की ओर से हाजरी दी गई। बाद पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। अभियुक्त को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस पेपर की आपूर्ति की गई। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा - 126(2), 115(2), 109, 76, 303(2), 351(2), 351(3), 3(5) B.N.S. के अन्तर्गत अपराधों का संज्ञान लिया गया है।

लगातार

Police paper
RM
28-5-26

commit to court of session

प्रतापगंज - 64/25

Cri - 598/25

लगातार
26.05.26 संज्ञानित धाराओं में धारा - 109, 76 B.N.S. सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः सम्पूर्ण वाद का दौरा सुपुर्द कर सत्र न्यायालय, सुपौल भेजा जाता है। वाद दौरा सुपुर्दगी की सूचना विद्वान अभियोजन पदा० को दी गई। कार्यालय लिपिक सम्पूर्ण अभिलेख को सत्र न्यायालय, सुपौल भेजें। अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि सत्र न्यायालय में आरोप गठन हेतु सदेह उपस्थित रहेंगे। दिनांक 16.7.26 वास्ते सत्र न्यायालय में उपस्थित हेतु।

ले०

अनु० न्या० दण्डा०